न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 237/2012 निर्णय दिनांक [illegible]

ऑनलाईन नंबर 2012/00080

क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर —वादी—

बनाम

1. सतवीरसिंह सांगवान पुत्र दरियावसिंह जाति जाट निवासी हाल रेलवे स्टेशन पश्चिमी आउटर सिंगल के पास श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल श्रीडूंगरगढ।
3. चैयरमैन नगरपालिका मण्डल, श्रीडूंगरगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति:—

1. श्री साजिद खान अधिवक्ता वादी
2. श्री महेन्दसिंह मान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 3

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज.काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एलआरएक्ट

यह वाद वादी क्षेत्रीय वन अधिकारी श्रीडूंगरगढ ने वाद पत्र राज. का अधिनियम 1955 की धारा 88,188,153 एवं राज.भू राजस्व अधिनियम1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि रोही श्रीडूंगरगढ़ में वन विभाग की खातेदारी में दर्ज भूमि ख.न.606 तादादी 5.34 हैक्ट. व ख.न.521 तादादी 2.80 हैक्ट. स्थत है। स.न. 606 एन.एच–11 के दक्षिण में स्थित है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने वर्ष 2003 में राजस्व नक्शा गलत बना दिया। एन.एच.–11 में पूर्व में नक्शे में बनी गोलाई को सिधा अंकित कर दिया । खसरा.न.606 व 607 के मध्य सीमा रेखा नही बनाई तथा नक्शेमें दोनों को एकल दर्शा दिया । इसी तरह खसरा न. 521 और खसरा न. 522,523,524 के बीच सीमा रेखा नहीं बनाई। तथा उपरोक्त चारों खसरों को एकल दर्शा दिया। वादी के निवेदन पर प्रतिवादी स. 4 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने सर्वेदल बनाकर मौके की जांच करवाई थी। उक्त सर्वेदल ने मैाके एं अभिलख की जांच में वर्तमान नक्शा शीट एवं पुराने नक्शें में भिन्नताएं पाई थी । बहुत से खसरों की तरमीम नहीं ही जाकर उनके हवाई नम्बर अंकित कर दिये गये होना पाया था। ख.न.606 व 521 की तरमीम नहीं होने से वादी के विभाग को कई कठिनाइयां है। वादी दिनांक 9.11.2012 को प्रतिवादीगण से मिला और उनसे नक्शा दुरस्ती एवं तरमीम कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नें साफ मनाकर दिया। प्रतिवादी स.1 ने वादी से कहा कि वह ख.न606 व 607 की भूमि को समतल करवाकर प्लॉट काटकर बेचकर ही दम लेगा। ऐसी स्थिति में वादी के पास यह दावा पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ख.न. 521 व 606 वन विभाग की खातेदारी दर्ज है जिन पर वन विभाग का कब्जा उपयोग व उपभोग की सीमा में कोई कब्जा नहीं है।

अतः दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण आशय की डिक्री फरमाया जाने कि ख.न. 606 व607 तथा ख.न .521 रोही श्रीडूंगरगढ़ को नक्शों में तरमीम करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:45 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सत्यमेव जयते

Divya

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रतिवादी स. 4 को दिया जावे। वन विभाग श्रीडूंगरगढ के रकबे को बाईमीट्स एवं बाउण्डरा विभाजित किये जाने की घोषणा की जावे । वर्तमान नक्शा शीट में पूर्व नक्शा शीअ 1959-60 एवं मौके के अनुसार एन. एच.-11 को अंकन कर रिकॉर्ड दुरस्ती की घोषणा की जावे। प्रतिवादीण 1 ता 4 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादग्रस्त खेत ख.न.606 वाके रोही श्रीडूंगरगढ में दखलंदाजी नहीं करे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी स.1 सत्यवीर सिंह ने जवाब दावा पेश किया । प्रतिवादी सं. 1 ने अभिलेख की जानकारी के अभाव एवं गलत बयानी के आधार पर दावे की सूची पेशओ की अस्वीकार एवं इनकार किया । उसने लिखा कि दिनांक 9.11.2012 को वादी उससे मिला ही नहीं। ख.न. 606 व 607 उसकी खातेदारी में ही नहीं। दावों में मांगा गया अनुतोष गलत है अतः अस्वीकार है। विशेष कथन में उसने लिखा कि दावे में उसे हैरान परेशान करने व खर्चे से जैरकार करने के लिये पक्षकार बनाया गया है अतः दावा खारिज फरमाया जावे तथा उसे वादी से हर्जा खर्चा दिलवाया जावे। प्रतिवादी स. 2-4 की ओर से जवाबदावा पेश नही किया गया। वाद में तनकीयात कायम किये गये जो निम्नानुसार है:-

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा न. 606 व 607 ग्राम श्रीडूंगरगढ़ की खातेदिारी घोषण करवाने का वादी अधिकारी है। — वादी—

2. आया वादग्रस्त भूमि खसरा न. 606 व 607 ग्राम श्रीडूंगरगढ़ के खातेदारी विभाजन का वादी अधिकारी है। —वादी—

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा न. 606 व 607 ग्राम श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी घोंषणा का वादी अधिकारी नहीं है। — प्रतिवादीगण—

2.अन्य देन अनुतोष।

वाद को साबित करने के लिये वादी द्वारा अभिलेख एवं अन्य पत्रादि की प्रमाणितं/अप्रमाणित प्रतिलिपियां 1 से 13 पेश की गई जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। वाद को साबित करने के लिये वादी ने अपने शपथ-पत्र लिखित बयान पेश किये। प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता की जिरह में उसने प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात की प्रतियों पर प्रदर्श संख्या 1 ता. 13 दर्ज करवाई अपने बयानों में वादी ने जिरह में कहा कि सत्यवीर सिंह द्वारा वन भूमि पर अवैद्य रूप से ट्रेक्टर चलाकर जमीन साफ कर प्लॉट काटकर लोगों को बेचने के विरूद्ध दावा हैं। यह सही है कि प्रतिवादी स. 1 ता. 3 का वन विभाग के कब्जा उपयोग व उपभोग की सीमा में कोई कब्जा नही हैं। मै सत्यवीरसिंह को नहीं जानता, उसे आज तक नही देखा है। उसे वन विभाग की भूमि पर कब्जा करते हुए नहीं है। सत्यवीर ने ही वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर अन्य लोगों बेचा है। दिनांक 17.1.2019 को सुगनसिंह मौके पर गया था उसने बताया मौके पर मकान टूटे हुये है। कितने मकान टूटे हुए है फिक्स जानकारी नही है। उक्त मकान एसडीएम ऑफिस द्वारा तोडें गयें है। प्रशासन द्वारा 47 बीघा भूमि खाली कराने का उल्लेख अखबार में आया था। भूमि खाली करवाने की बात सही हैं। इसकी जानकारी नहीं है। प्रतिवा[illegible] से 4 का कब्जा है इसकी जानकारी नहीं होने का कथन गलत है। ... के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह के बयान दावे में दर्ज नही करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:45 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद पत्र, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतिलिपी एवम बयान वादी का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। इसके पश्चात तनकीयात पर निर्णय किया गया जो निम्न प्रकार है:—

1. पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 12.11.2012 को जारी की गई नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्थापित है कि ख.न. 606 वन विभाग श्रीडूंगरगढ की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नं 607 नगरपालिका श्रीडूंगरगढ की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने वाद पत्र एवं बयानों में ख.न. 607 की नगरपालिका की भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं मांगा है। उसने नगरपालिका की खातेदारी पर कोई उज्र नही किया है। अतः खसरा नं 607 के सम्बन्ध में तनकी व्यर्थ है। खसरा नं 606 वादी के विभाग की खातेदारी में दर्ज है। उसकी खातेदारी घोषित एवं प्रमाणित शुदा है। उसकी खातेदारी की फिर से घोषणा करने की तनकी व्यर्थ है। उपरोक्तानुसार व्यर्थ होने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. खसरा नं 606 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 के खाता संख्या 625 में वन विभाग की खातेदारी में अंकित है। खसरा नं 607 जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 के खाता संख्या 599 में नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ के खाते में दर्ज है।

उपरोक्तानुसार खसरा नं 606 व 607 पृथक – पृथक खातों में वन विभाग एवं नगरपालिका श्रीडूंगरगढ के खातों में अधिकार अभिलेख में दर्ज है। इस प्रकार खातेदारी पूर्व से ही विभाजित चली आ रही है।

तनकी तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध एवं व्यर्थ है। अतः वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. तनकी संख्या तीन के सम्बन्ध में निष्कर्ष तनकी संख्या 1 में पारित किया जा चुका है। उपरोक्त निष्कर्ष के अनुसार तनकी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

4. प्रकरण में उभयपक्षों में से कोई भी किसी अनुतोष के पात्र नहीं पाया गया है। अतः किसी को भी अन्य अनुतोष देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार निवेदन एवं तनकीयात के विनिश्चय के पश्चात् वाद अस्वीकार योग्य पाया गया हैं। अतः दावा अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.4.2022 को सरे इलजास मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:45 IST
Reason: SelfAttested